

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/प्रवेश/2014/2261

रायपुर, दिनांक 22.10.14

आयुर्वेद वाचस्पति (एम.डी.आयुर्वेद) एवं आयुर्वेद धन्वंतरि (एम.एस.आयुर्वेद) त्रिवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम।

“ काउंसिलिंग सूचना ”

काउंसिलिंग स्थल :- शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर

काउंसिलिंग दिनांक :- 28.10.2014

आयुर्वेद वाचस्पति (एम.डी.आयुर्वेद) एवं आयुर्वेद धन्वंतरि (एम.एस.आयुर्वेद) पाठ्यक्रम सत्र 2014-15 में छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्राप्त मेरिट सूची के अनुसार शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय में विभिन्न विषयों में संचालित त्रिवर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु, प्रवेश परीक्षा की मेरिट सूची में स्थान प्राप्त अभ्यर्थियों को विभिन्न श्रेणी / संवर्गवार काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है। अभ्यर्थी इस सूचना को ही बुलावा पत्र मानते हुए काउंसिलिंग में अवसर लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

समय - सारणी

दिनांक प्राप्तांक	श्रेणी / संवर्ग	रजिस्ट्रेशन का समय	प्रवेश परीक्षा में
28.10.2014	अनारक्षित	प्रातः 09 बजे से 10 बजे	89.796 से 77.551 तक
मंगलवार	अ.पि.वर्ग	प्रातः 10 बजे से 11 बजे	87.755 से 74.490 तक
	अनुसूचित जाति	दोपहर 11 बजे से 12 बजे	83.673 से 63.265 तक
	अनु.जन जाति	दोपहर 12 बजे से 01 बजे	77.551 से 45.918 तक
	शास. सेवक	सायं 02 बजे से 03 बजे	48.980
	अन्य प्रदेश	सायं 03 बजे से 04 बजे	83.673 से 75.510 तक

सभी प्रवेशार्थी निम्नलिखित समस्त मूल प्रमाण पत्रों / अंकसूचियों एवं उनकी एक सेट की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित काउंसिलिंग हेतु निर्धारित तिथि, स्थान एवं समय पर उपस्थित होंगे। उपस्थित नहीं होने पर आप प्रवेश का अवसर खो देंगे। काउंसिलिंग में उपस्थित होना प्रवेश की गारंटी नहीं है।

प्रमाण पत्रों का क्रम :-

1. 10वीं की अंकसूची।
2. 12वीं अंकसूची।
3. बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम की समस्त परीक्षाओं की अंक सूचियां।
4. इन्टर्नशिप/हाउसजाब पूर्ण करने का प्रमाण पत्र।
5. बी.ए.एम.एस. उपाधि प्रमाण पत्र।
6. किसी भी राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेद बोर्ड/परिषद में पंजीयन का प्रमाण पत्र।
7. मूल निवासी प्रमाण पत्र (राज्य के अभ्यर्थियों के लिए, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)
8. स्थायी जाति प्रमाण पत्र। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी, केवल छत्तीसगढ़ के आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये।)
9. वित्तीय वर्ष 2013-14 का आय प्रमाण पत्र। (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए।
10. सेवारत होने के स्थिति में नियोजक संस्था का नाम एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र।
11. अन्य कोई प्रमाण पत्र जिसकी छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

शुल्क :-

काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रवेशार्थियों के लिये रु. 600/- तथा अन्य प्रवेशार्थियों के लिये रुपये 1000/- होगा, जो वापसी योग्य नहीं है। काउंसिलिंग पश्चात प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थी को प्रवेश के समय नियमानुसार महाविद्यालय में अन्य शुल्क जमा करना आवश्यक है। अन्यथा अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जावेगा।

प्री.पी.जी. प्रवेश परीक्षा का परिणाम एवं मेरिट सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.cghealthuniv.com एवं काउंसिलिंग संबंधी जानकारी वेबसाइट www.cgaupcb.in पर उपलब्ध है।



प्राचार्य,

शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय

रायपुर छ.ग.